प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 17 अगस्त, 2023

विषय:- जिला कारागार, फिरोजाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्री श्यामसुन्दर उर्फ श्यामसिंह, निवासी जनपद-फिरोजाबाद की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-19923/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-07.06.2023) दिनांक-16.06.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, फिरोजाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्री श्यामसुन्दर उर्फ श्यामसिंह, ग्राम-उमराय खेड़ा, थाना-शिकोहाबाद, जनपद-फिरोजाबाद का निवासी है। (1) बन्दी ने पूर्व की रंजिश में दिनांक 22.08.2006 को 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर शिकोहाबाद से दूध डालकर अपनी साइकिल से गॉव वापस आ रहे उदयभान नामक व्यक्ति के ऊपर ताबडतोड़ गोलिया मारकर हत्या कर दी। (2) बंदी ने दिनांक 29.07.2006 को वादी के पिता सुनहरी लाल जो खेत पर समरसेबिल के पास रहते थे, को बुलाकर कुछ पूछा सुनहरीलाल द्वारा बताने से इन्कार करने पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। (3) दिनांक 11.09.2007 को सतीश पुत्र आशाराम जाट की लाश छोटी माइनर के किनारे पड़ी मिली। पुलिस विवेचना में बंदी ने मारूति वैन पर फर्जी नम्बर लगाने व मारूति वैन 400/- प्रतिदिन के दर से 03 दिन के लिए किराये पर लेने व वृन्दावन में चालक सतीश की हत्या करके लूटने का अपराध कारित किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण नं0-23/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-2, फिरोजाबाद के आदेश दिनांक 03.01.2017 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, (2) सत्र परीक्षण नं0-27/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत अपर सत्र न्यायाधीश/कोर्ट सं0-02, फिरोजाबाद के आदेश दिनांक 27.08.2014 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया एवं (3) सत्र परीक्षण नं0-498/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302, 394, 201 के अन्तर्गत अपर सत्र न्यायाधीश/कोर्ट सं0-08 मथुरा के आदेश दिनाक 19.09.2015 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, (4) जीएसटी नं0-229/2007 में धारा-2/3 गैगस्टर एक्ट के अन्तर्गत एडीजे-05 जिला-एटा के आदेश दिनांक 17.06.2016 द्वारा पूर्व में बिताई गयी अवधि के कारावास से दण्डित किया गया, (5)- बंदी को एसटी नं0-579/2012 में धारा-3 गैगस्टर एक्ट के अन्तर्गत अपर सत्र न्यायाधीश/कोर्ट सं0-6/विशेष न्यायाधीश गैगस्टर एक्ट, फिरोजाबाद के आदेश दिनांक 07.12.2022 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया, द्वारा दिनांक 16.05.2023 तक 15 वर्ष, 08 माह 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष, 05 माह 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, भविष्य में पुन: अपराध की सम्भावना होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि (1) बन्दी ने पूर्व की रंजिश में दिनांक 22.08.2006 को 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर शिकोहाबाद से दूध डालकर अपनी साइकिल से गॉव वापस आ रहे उदयभान नामक व्यक्ति के ऊपर ताबडतोड़ गोलियां मारकर हत्या करने, (2) बंदी ने दिनांक 29.07.2006 को वादी के पिता सुनहरी लाल जो खेत पर समरसेबिल के पास रहते थे, को बुलाकर कुछ पूछा सुनहरीलाल द्वारा बताने से इन्कार करने पर गोली मारकर उनकी हत्या करने एवं (3) दिनांक 11.09.2007 को सतीश पुत्र आशाराम जाट की लाश छोटी माइनर के किनारे पड़ी मिली। पुलिस विवेचना में बंदी ने मारूति वैन पर फर्जी नम्बर लगाने व मारूति वैन 400/- प्रतिदिन के दर से 03 दिन के लिए किराये पर लेने व वृन्दावन में चालक सतीश की हत्या करके लूटने का अपराध कारित किया। बन्दी को उक्त 03 घटनाओं में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्री श्यामसुन्दर उर्फ श्यामसिंह, निवासी जनपद-फिरोजाबाद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है जिला कारागार, फिरोजाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धर्मेन्द्र कुमार (बन्दी संख्या-294/2014) पुत्र श्री श्यामसुन्दर उर्फ श्यामसिंह, निवासी जनपद-फिरोजाबाद के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक: यथोपरि।</u>

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

मदन मोहन

विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-535/2023/1447(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, फिरोजाबाद।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- श्री विकास गोस्मावी, अपर शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद को क्रिमिनल अपील सं0-1148/2017 धर्मेन्द्र बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्च न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 07.03.2017 के सन्दर्भ में।

6- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक केन्द्रीय कारागार, नैनी (प्रयागराज) को क्रिमिनल अपील सं0-1148/2017 धर्मेन्द्र बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्च न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 07.03.2017 के सन्दर्भ में।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-535/2023/2476/22-2-2023-17(500)/2023

दिनांक 17 अगस्त, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, फिरोजाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्री श्यामसुन्दर उर्फ श्यामसिंह, ग्राम-उमराय खेड़ा, थाना-शिकोहाबाद, जनपद-फिरोजाबाद का निवासी है। (1) बन्दी ने पूर्व की रंजिश में दिनांक 22.08.2006 को 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर शिकोहाबाद से दूध डालकर अपनी साइकिल से गॉव वापस आ रहे उदयभान नामक व्यक्ति के ऊपर ताबडतोड़ गोलिया मारकर हत्या कर दी। (2) बंदी ने दिनांक 29.07.2006 को वादी के पिता सुनहरी लाल जो खेत पर समरसेबिल के पास रहते थे, को बुलाकर कुछ पूछा सुनहरीलाल द्वारा बताने से इन्कार करने पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। (3) दिनांक 11.09.2007 को सतीश पुत्र आशाराम जाट की लाश छोटी माइनर के किनारे पड़ी मिली। पुलिस विवेचना में बंदी ने मारूति वैन पर फर्जी नम्बर लगाने व मारूति वैन 400/- प्रतिदिन के दर से 03 दिन के लिए किराये पर लेने व वृन्दावन में चालक सतीश की हत्या करके लूटने का अपराध कारित किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण नं0-23/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-2, फिरोजाबाद के आदेश दिनांक 03.01.2017 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, (2) सत्र परीक्षण नं0-27/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत अपर सत्र न्यायाधीश/कोर्ट सं0-02, फिरोजाबाद के आदेश दिनांक 27.08.2014 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया एवं (3) सत्र परीक्षण नं0-498/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302, 394, 201 के अन्तर्गत अपर सत्र न्यायाधीश/कोर्ट सं0-08 मथुरा के आदेश दिनाक 19.09.2015 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, (4) जीएसटी नं0-229/2007 में धारा-2/3 गैगस्टर एक्ट के अन्तर्गत एडीजे-05 जिला-एटा के आदेश दिनांक 17.06.2016 द्वारा पूर्व में बिताई गयी अवधि के कारावास से दण्डित किया गया, (5)- बंदी को एसटी नं0-579/2012 में धारा-3 गैगस्टर एक्ट के अन्तर्गत अपर सत्र न्यायाधीश/कोर्ट सं0-6/विशेष न्यायाधीश गैगस्टर एक्ट, फिरोजाबाद के आदेश दिनांक 07.12.2022 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया, द्वारा दिनांक 16.05.2023 तक 15 वर्ष, 08 माह 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष, 05 माह 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, भविष्य में पुन: अपराध की सम्भावना होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि (1) बन्दी ने पूर्व की रंजिश में दिनांक 22.08.2006 को 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर शिकोहाबाद से दूध डालकर अपनी साइकिल से गॉव वापस आ रहे उदयभान नामक व्यक्ति के ऊपर ताबडतोड़ गोलियां मारकर हत्या करने, (2) बंदी ने दिनांक 29.07.2006 को वादी के पिता सुनहरी लाल जो खेत पर समरसेबिल के पास रहते थे, को बुलाकर कुछ पूछा सुनहरीलाल द्वारा बताने से इन्कार करने पर गोली मारकर उनकी हत्या करने एवं (3) दिनांक 11.09.2007 को सतीश पुत्र आशाराम जाट की लाश छोटी माइनर के किनारे पड़ी मिली। पुलिस विवचना में बंदी ने मारूति वैन पर फर्जी नम्बर लगाने व मारूति वैन 400/- प्रतिदिन के दर से 03 दिन के लिए किराये पर लेने व वृन्दावन में चालक सतीश की हत्या करके लूटने का अपराध कारित किया। बन्दी को उक्त 03 घटनाओं में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्री श्यामसुन्दर उर्फ श्यामसिंह, निवासी जनपद-फिरोजाबाद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।